

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
केन्द्रीय कारा, गया।

पटना, दिनांक-20/02/2017

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतनादि (वेतन जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा यात्रा व्यय) मद की निकासी हेतु ₹52,70,000 (बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड-N-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.2016, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक-17.04.98 तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा गया के पत्रांक-584 दिनांक-08.02.17 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतनादि (वेतन जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा यात्रा व्यय) मद में निम्नवत अतिरिक्त राशि का आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	कारा का नाम	कूट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	केन्द्रीय कारा, गया	01 01- वेतन	9860000	1680000	11540000	एक करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार रुपये मात्र।
		01 03- जीवनयापन भत्ता	12917000	2300000	15217000	एक करोड़ बावन लाख सत्रह हजार रुपये मात्र।
		01 04 मकान किराया भत्ता	834000	110000	944000	नौ लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र।
		01 06- चिकित्सा भत्ता	144000	25000	169000	एक लाख उनहत्तर हजार रुपये मात्र।
		01 07- अन्य भत्ता	140000	20000	160000	एक लाख साठ हजार रुपये मात्र।
		11 01-यात्रा व्यय	94000	30000	124000	एक लाख चौबीस हजार रुपये मात्र।
		28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	12115000	1105000	13220000	एक करोड़ बत्तीस लाख बीस हजार रुपये मात्र।
		कुल	36104000	5270000	41374000	चार करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार रुपये मात्र।

(बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0001 केन्द्रीय जेल के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010001 एवं कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

अनिर्माता कुमार
संयोजक

मौ. अमृतकुंदीन अंसारी
सहायक

राज शर्मा सिंह
39 निदेशक (बजट एवं लेखा)

4. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं मद में आवंटित राशि से सर्वप्रथम कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों/कारा निरीक्षणालय से स्वीकृत संख्या के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति गृह रक्षा वाहिनी एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत आने वाले दैनिक मजदूर को भुगतान किया जायेगा।

5. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

6. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं० 405/वि० दिनांक-25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

7. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी०भी नं० के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्यक किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

अभिनेश कुमार सहायक
मौ. जमाबुद्धीम अंशाटी, राज गरी सिंह
स० पदा०

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(के०)-01-02/16- 105

पटना, दिनांक-...2.0.../...02.../2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभिनेश कुमार सहायक
मौ. जमाबुद्धीम अंशाटी, राज गरी सिंह
स० पदा०

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(के०)-01-02/16- 105

पटना, दिनांक-...2.0.../...02.../2017

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभिनेश कुमार सहायक
मौ. जमाबुद्धीम अंशाटी, राज गरी सिंह
स० पदा०

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(के०)-01-02/16- 105

पटना, दिनांक-...2.0.../...02.../2017

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभिनेश कुमार सहायक
मौ. जमाबुद्धीम अंशाटी, राज गरी सिंह
स० पदा०

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(के०)-01-02/16- 105

पटना, दिनांक-...2.0.../...02.../2017

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभिनेश कुमार सहायक
मौ. जमाबुद्धीम अंशाटी, राज गरी सिंह
स० पदा०

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।